



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/539

दिनांक: -10/07/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (10) कम्पनियों का नाम **राजस्थान** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	F59651018	U01100RJ2019FTC067478	एक्सटेंडस्मार्ट एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9120217	U82990RJ2023PTC086386	सकिसोरकारत प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9109990	U45201RJ1997PTC014156	पटोदी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9062049	U72900RJ2022PTC081577	बाइटबडी टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8943777	U72900RJ2015PTC047968	एल्गोपिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8900620	U72502RJ2020PTC070466	येलो फेम प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8659919	U36990RJ2022PTC082221	आर्या एमएफआर प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8635307	U55204RJ2018PTC060649	सिल्क सारा रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8555608	U72900RJ2020PTC068722	मानस (मैनपावर एंड सोल्यूशन) प्राइवेट लिमिटेड
10	AA8494980	U15549RJ2020PTC070499	सृष्टि फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

इरकन तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0268/2425